FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

सत्यनारायण बनाम मुरली व अन्य

किस्म मुकदमा 212 RT Act मिसल नम्बर 12/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
2-3-22	प्रार्थना पत्र प्रार्थी सत्यनारायण की और से अभिभाषक श्री मायाराम स्वामी द्वारा उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी अधिवक्ता ने मामले को अर्जेन्ट नेचर का कथन करते हुये बहस की अभिभाषक श्री मायाराम स्वामी को एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र में आलेखितं तथ्यो/कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया की ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्व एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 व3 में अंकित भूमि ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव तहसील दीगोद जिला कोटा ख0नं0 473 रकबा 0.68 है0, ख0नं0 554/327 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 557/352 रकबा 0.11 है0 कुल 3 किता की रकबा 0.97 है0 तथा ग्रम टाकरवाडा में स्थित ख0नं0 146/949 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 1462/1144 रकबा 0.42 है0 कुल 2 किता की रकबा 0.59 है0 भूमि को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व बैचान तथा अन्तरण नही करे तथा उक्त कृत्य न तो स्वंय करे और न अपने प्रतिनिधि से करावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव तथा टाकरवाडा तहसील दीगोद सं0 2073-76 तथा अन्य दस्तावेजो के आधार पर प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में नजर आता है। अतः अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव तहसील दीगोद जिला कोटा ख0नं0 473 रकबा 0.68 है0, ख0नं0 554/327 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 557/352 रकबा 0.11 है0 कुल 3 किता की रकबा 0.97 है0 तथा ग्रम टाकरवाडा में स्थित ख0नं0 146/949 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 1462/1144 रकबा 0.42 है0 कुल 2 किता की रकबा 0.59 है0 विवादीत आराजीयात को आगामी तारीख पेशी तक रहन बैचान व खुर्द बुर्द तथा अन्तरण नही करे। यदि अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति हो तो वह आगामी पेशी 06.04.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिपक्षीगण आगामी पेशी तक के लिए जारी की जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता को CPC 0.39 R 3 के तहत पाबन्द किया जाता है कि वह अप्रार्थीगण को तामील जाये रजिस्टर्ड एडी से करवाये। पत्रावली दिनांक 06.04.2022 को पेश हो। (श्रीमति पूजा हरवानी) सहायक कलक्टर दीगोद	

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:45:50 IST
Reason: SelfAttested

6/4/22 पत्रावली पेश हो। वकील पक्षकार उपस्थित। स्थगन आदेश की अवधि आगामी तारीख पेशी तक बढ़ाई जाती है। प्रार्थी क्रं 1 ता 4 की ओर से श्री प्रमोद कुमार चौधरी एड० द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी क्रं 5 की नकल [illegible] हो। निगरानी वादी 2 प्रार्थी क्रं 1 ता 4 के जवाब व बहस की नकल हेतु दिनांक 5.5.22 को पेश हो।

5/5/22 पत्रावली पेश हो। वकील पक्षकार उपस्थित हो। स्थगन आदेश की अवधि आगामी तारीख पेशी तक बढ़ाई जाती है। निगरानी वादी 2 प्रार्थी क्रं 1 ता 4 के जवाब हेतु दिनांक 30-5-22 को पेश हो।

30/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली में वादी वकील द्वारा वाद विड्रॉ करने हेतु प्रा० पत्र पेश किया गया। अतः प्रा० पत्र है वादी द्वारा वाद विड्रॉ होने पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रा० पत्र अस्पष्ट [illegible] स्वीकार किया [illegible] कमल कुमार [illegible] साथ [illegible] बाद है। दाखिल दफ्तर किया जावे।

सहायक कलेक्टर

30.5.22

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:45:50 IST
Reason: SelfAttested